

महावीर सिंह सिंधु, जे, के समक्ष

उमेश कुमार भुक्कर-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

सी. आर. एम.-एम. No. 40207

1 जून, 2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-धारा 482-भारतीय दंड संहिता, 1860 एस. 419, 420, 406, 506 और 120 बी-जालसाजी से फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट/ प्राथमिकी रिपोर्ट/FIR को रद्द करना-शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी आर/FIR जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की जमीन गिरवी रखकर और खुद को शिकायतकर्ता बताते हुए बैंक से ऋण लिया-याचिकाकर्ता कृषि अधिकारी होने के नाते कथित तौर पर जाली दस्तावेजों में सक्रिय रूप से भाग लिया-याचिकाकर्ता के लिए उधारकर्ताओं की पहचान करना और शाखा में ऋण प्रस्ताव पेश करने और उसके प्रसंस्करण के लिए प्रतिभूतियों का निरीक्षण करना अनिवार्य था-ऋण के लिए सिफारिश करने से पहले भूमि दस्तावेजों और ऋण लेने वाले के भौतिक सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना याचिकाकर्ता का दायित्व था-सत्यापन के लिए साइट पर जाने के बजाय याचिकाकर्ता ने अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की-याचिकाकर्ता को सिफारिश करने के लिए रिश्वत भी मिली। धारा 173 Cr.P.C, 1973 के तहत रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री-आरोप बनाए गए और अभियोजन साक्ष्य के लिए मामला तय किया गया-आवेदन खारिज कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि विद्वत विचारण न्यायाधीशालय द्वारा आरोप तैयार करने के बाद, इस न्यायाधीशालय को नियमित तरीके से FIR/प्राथमिकी को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए; बल्कि इसका प्रयोग संयम से और उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी केवल असाधारण मामलों (मामलों) में जहां आरोप साबित करने की

संभावना बहुत कम है और आपराधिक कार्यवाही की विचाराधीनता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या न्यायाधीश का अंत सुनिश्चित करने के लिए है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान मामले में कथित अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया बनाए गए हैं और परिणामी कार्यवाही के साथ प्राथमिकी को रद्द करना उचित नहीं है।

(पैरा 15)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश अरोड़ा,

विकास मलिक, डीएजी, हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए सुरेंद्र पाल, अधिवक्ता

महाबीर सिंह सिंधु, जे

(1) वर्तमान याचिका भारतीय दंड संहिता की खंड

419,420,406,467,468,471,506 और 120-बी (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत संख्या FIR 156 दिनांक 11.05.2012 को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 (संक्षेप में "प्राथमिकी 2".) को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो पुलिस स्टेशन महम, जिला रोहतक में दर्ज है।

(2) सीसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक-प्रत्यर्थी संख्या 2 के निवासी संदीप पुत्र चंदर भान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी/FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह खेवट संख्या 276/246 खातोनी संख्या 291 में कृषि भूमि के 1/4 वें हिस्से तक सह-भागीदार है, जिसका कुल माप 359 कनाल 2 मरला है, जो गांव सीसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक में स्थित है। दिनांक 02.01.2012 को जब उन्होंने उक्त भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करने के लिए पटवारियों से 'फरद जमाबंदी' (राजस्व रिकॉर्ड) की प्रति प्राप्त की, तो उन्होंने पाया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मदीना शाखा (संक्षेप में 'बैंक') द्वारा अग्रिम रूप से दी गई रु.-(छह लाख पचास हजार) की ऋण राशि की प्रविष्टि थी। इसके कारण, उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कभी भी कथित ऋण के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए किसी भी ऋण सुविधा का लाभ उठाने का कोई सवाल ही नहीं था। शिकायतकर्ता ने ओ. बी. सी., मदीना का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों से पूछताछ की और

उन्होंने बताया कि गाँव बहलबा के चंदर भान के बेटे संदीप ने ऋण लिया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने बैंक को स्पष्ट कर दिया कि वह न तो गाँव बहलबा का निवासी है और न ही उसने कोई ऋण लिया है, लेकिन जब बैंक के अधिकारियों/अधिकारियों ने भूमि के बंधक विलेख सहित रिकॉर्ड दिखाया, तो पता चला कि कुछ अन्य व्यक्तियों की तस्वीरें और अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर थे और इस प्रकार, यह कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी द्वारा किए गए प्रतिरूपण और धोखाधड़ी का मामला था। यह भी आरोप लगाया गया है कि दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर और तस्वीरें नहीं थीं और वह कथित गवाहों के बारे में नहीं जानता था, जिन्होंने संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए हैं। अभियुक्त द्वारा उन सभी व्यक्तियों के ठिकानों का खुलासा किया जाना है। चूंकि न तो शिकायतकर्ता ने ऋण लिया था और न ही अपनी जमीन गिरवी रखी थी, इसलिए ओ. बी. सी., मदीना के कार्यालय में जाने का कोई सवाल ही नहीं था। उक्त धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिलने के बाद, शिकायतकर्ता ने बैंक के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया और जब आरोपी को मुकदमे के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋण राशि का भुगतान कर दिया और ऋण की निकासी के संबंध में बैंक द्वारा उस आशय का एक पत्र दिनांक 02.01.2012 को जारी किया गया है। उक्त पत्र में यह उन्होंने बताया कि रोहतक जिले की महम तहसील के गाँव बहलब के निवासी चंदर भान के बेटे संदीप ने ऋण का भुगतान किया है। इस प्रकार, सभी अभियुक्तों ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रचकर अपराध किया है। मामले की जांच दोनों गवाहों यानी आजाद लम्बरदार और ओम प्रकाश के बेटे विनोद से की गई थी, लेकिन उन्होंने कागजात पर अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान से इनकार किया। अभियुक्त जगदीश शिकायतकर्ता को धमकी भी दे रहा है कि यदि वह अदालत में जाता है, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, और इस तरह अभियुक्तों ने ऊपर बताए गए अपराध को किया है और उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि पुलिस को 10.02.2012 और 16.03.2012 की लिखित शिकायतें की गई थीं, लेकिन चूंकि आरोपी शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(3) यह तर्क दिया जाता है कि प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता को बैंक में एक कृषि अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उनकी भूमिका केवल ऋण के लिए मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने और फिर अपनी सिफारिशें करने की थी। यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पाया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में दस्तावेज गिरवी रखे गए थे और सिफारिशें सही तरीके से की गई थीं और परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधक द्वारा ऋण

स्वीकृत किया गया था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि बंधक विलेख के पंजीकरण के समय भी, ग्राहक की पहचान दो व्यक्तियों द्वारा की गई थी और उनमें से एक गाँव का लैम्बरदार है। यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न तो लाभार्थी है और न ही कथित अपराधों के करने के संबंध में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका है। यह भी तर्क दिया जाता है कि प्राथमिकी आर. सह-अभियुक्त/जगदीश लाल मल्होत्रा, शाखा प्रबंधक, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है, दिनांक 17.07.2014 (पी-12) के आदेश के अनुसार और याचिकाकर्ता का मामला भी इसी आधार पर है, इसलिए, परिणामी कार्यवाही के साथ विचाराधीन प्राथमिकी आर. याचिकाकर्ता के खिलाफ भी रद्द होने योग्य है।

(4) महम के पुलिस उपाधीक्षक मुकेश कुमार के शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर किया गया है और इसके आधार पर राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामले की जांच के दौरान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था और जांच पूरी होने के बाद, खंड 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और पर्याप्त सामग्री के आधार पर, विद्वान निचली अदालत ने पहले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 13.01.2015 को आरोप तय कर लिए हैं। यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों को जाली बनाने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और विशिष्ट भूमिका के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ऋण की मंजूरी के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि सभी दस्तावेजों को सत्यापित करना उसका कर्तव्य था, लेकिन मौके पर जाने के बजाय, कार्यालय में बैठे हुए दुर्भावनापूर्ण इरादे से बैंक नियमों का पूरी तरह से भंग करते हुए सिफारिशों की और इस प्रकार, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मामला पूरी तरह से अलग था और यह केवल याचिकाकर्ता है, जो दस्तावेजों के साथ-साथ विचाराधीन भूमि के भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, ये सभी तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं जिनका निर्णय मुकदमे के दौरान किया जा सकता है और खंड 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(5) प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अलग जवाब दायर किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि चूंकि आरोप पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए तय किया गया है और राज्य के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों को दोहराया गया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि जांच के दौरान सह-अभियुक्त-अनिल @सोनू

@सुनील ने अपने खुलासे में कहा कि उसने सह-अभियुक्त नीरज को प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि के खिलाफ स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए कहा और उसने विचाराधीन भूमि के दस्तावेजों के साथ-साथ गाँव बहलबा के निवासी चंदर भान के बेटे संदीप का राशन कार्ड भी प्राप्त किया, जो पहले से ही उसके कब्जे में था और उसने प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर उक्त संदीप का नाम जाली बनाया और मतदाता पहचान पत्र में भी उसने इसी तरह की जालसाजी की। यह भी तर्क दिया जाता है कि नीरज के सह-अभियुक्त की तस्वीर दस्तावेजों पर चिपकाई गई थी और उसने बैंक अधिकारियों के साथ-साथ वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 का जाली और प्रतिरूपण किया और भूमि को बैंक के साथ 28.07.2010 पर रु. 6,47,000-(छह लाख सैंतालीस हजार) के ऋण के लिए गिरवी रखा गया था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि चंदर भान के एक बेटे संदीप के नाम पर बैंक खाता खोलकर पूरी राशि निकाल ली गई थी और उसने वर्तमान याचिकाकर्ता को Rs.22,000/- (बाईस हजार) की रिश्वत दी थी और इसकी पुष्टि सह-आरोपी नीरज ने भी जांच के दौरान अपने प्रकटीकरण में की है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने भी यह खंडन किया कि दिनांक 22.07.2010 को उसे ओ. बी. सी., मदीना में कृषि अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और एक नीरज अनिल के साथ मिलकर प्रतिवादी नंबर 2 की कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए आया था और इसके लिए उसे विचाराधीन भूमि के सत्यापन के लिए जाना था, लेकिन नीरज और अनिल से (बाईस हजार) की रिश्वत लेकर उसने बैंक में ही सत्यापन तैयार किया और स्वीकृत पत्र के साथ-साथ कृषि अधिकारी के रूप में अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यह आगे तर्क दिया जाता है कि राशि Rs.22,000/- (बाईस हजार) पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के मित्र महेंद्र से जांच के दौरान पहले ही बरामद किया जा चुका है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनाया गया है और वर्तमान याचिका खारिज होने योग्य है।

(6) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

(7) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ खंड 173 Cr.P.C के तहत एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आरोप पहले ही तैयार किए जा चुके हैं।

(8) यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था और इसे विद्वान अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश, (सीनियर डिवीजन) द्वारा

वापस लेने की अनुमति दी गई थी।), महम, ओ. बी. सी., मदीना की ओर से दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए दिनांक 07.05.2012 (पी-11) के आदेश के माध्यम से, इस प्रभाव से कि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ कुछ भी देय नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बैंक की ओर से दिए गए बयान को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 के आरोप कि उसने बैंक से कोई ऋण नहीं लिया था, विधिवत रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

(9) याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क कि दिनांक 17.07.2014 (P-12) के आदेश के माध्यम से शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी/FIR को रद्द कर दिया गया है, इस साधारण कारण से सहायक नहीं है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ बैंक प्रबंधक के कर्तव्य और कार्य काफी अलग हैं और कृषि अधिकारी (याचिकाकर्ता) के प्रासंगिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व, जैसा कि दिनांक 26.12.2005 (P-12) के मास्टर परिपत्र में वर्णित है), नीचे पढ़ें:-

“एक अंतराल के बाद, वर्ष 2003 में एओ की भर्ती फिर से शुरू की गई। हालांकि, वास्तविक प्रोत्साहन 05 अप्रैल के बाद आया और 05 जनवरी को 125 एओ की भर्ती की गई। चूंकि हमारा बैंक अब बड़ी संख्या में कृषि अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, इसलिए इन अधिकारियों के कामकाज पर संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों की सलाह देने का निर्णय लिया गया है। इस परिपत्र में निहित दिशा-निर्देश इस विषय पर पिछले सभी निर्देशों को हटा देंगे।

कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिकारियों की उपयोगिता और महत्व।

भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार, शुद्ध बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि को ऋण देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक इसे ध्यान में रखते हुए इस विशेष क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के तहत विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कृषि अधिकारी का उपयोग केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्र/कृषि के लिए ऋण देने के लिए किया जाना चाहिए।

कृषि अधिकारियों के कार्य और कर्तव्य

1. ए. ओ. द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति दो गुना होगी अर्थात् ऋण सुविधाओं का विस्तार करना और इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास अग्रिमों को बढ़ावा देना, जिसका

अर्थ है कि हमारे परिपत्र No. HO एस. एल. एंड पी. एस. 64 के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत कृषि सूक्ष्म वित्त और अन्य छोटे ऋणों को शामिल करना.

2. वे कृषि अग्रिम से जुड़े समग्र कर्तव्यों में भाग लेंगे और मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:-

शाखा को ऋण प्रस्तावों का परिचय और उनका प्रसंस्करण ।

ऋणकर्ताओं की पहचान, मूल्यांकन से पहले और बाद की यात्राएं । कृषि ऋणों का पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई ।

प्रतिभूतियों का निर्देश । किशतों की वसूली ।

उपरोक्त प्रकृति के एस. एम. ए./एन. पी. ए. खातों की अनुवर्ती कार्रवाई ।

सूक्ष्म वित्त और किसान क्लब विशेष रूप से ओरिएंटल बैंक ग्रामीण परियोजना (ओ. बी. जी. पी.) का कार्यान्वयन ।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन । कृषि चिकित्सालय और कृषि व्यवसाय केंद्रों (ए. सी. ए. बी. सी.) को बढ़ावा देना । ”

(10) मास्टर सर्कुलर के संबंधित भाग के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के लिए उधारकर्ताओं की पहचान करना और शाखा को ऋण प्रस्ताव पेश करने और उसके प्रसंस्करण के लिए प्रतिभूतियों का निरीक्षण करना अनिवार्य था । कृषि अधिकारी होने के नाते, यह याचिकाकर्ता का दायित्व था कि वह ऋण के लिए सिफारिश करने से पहले भूमि, दस्तावेजों और ऋणकर्ता के भौतिक सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से आए । ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन के लिए मौके पर जाने के बजाय अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की और इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए साक्षात्कार-सह-मूल्यांकन/प्रक्रिया ध्यान दें तैयार किया ।

3) इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“मूल्यांकन अधिकारी की सिफारिश:

संबंधित भूमि अभिलेख/दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं और सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं । फार्म का दौरा मैंने 22.07.2010 पर किया था जो 8 कि. मी. की दूरी पर है ।

शाखा से और पाया कि आवेदन पत्र में उल्लिखित पता सही है। हमने गाँव में संपर्क किया:

एस/ओ श्री

1. श्री.

2. श्री.

एस/ओ श्री

आवेदक (ओं):

(i) तीन साल से क्षेत्र का निवासी है और
तीन महीने।

((ii) संतोषजनक प्रतिष्ठा है। हां।

(iii) गैर-से Rs. _____ के ऋण बेचे गए हैं -
संस्थागत स्रोत।

आवेदक (ओं) से निर्धारित उधारकर्ता का निवल मूल्य है: परिसंपत्तियाँ (अचल) रु.
1,15,00,000/- (चल) रु. 1,30,000- (कम) देनदारियाँ रु. = रु.
1,16,30,000/- "

(11) सिफारिशों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने गाँव में किसी से संपर्क नहीं किया और पहचानकर्ता के दोनों कॉलम खाली रह गए हैं और इसलिए, यह साबित करता है कि याचिकाकर्ता ने कार्यालय में बैठे हुए सिफारिशों की थीं।

(12) जहां तक यह तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में लाभार्थी नहीं है, वह भी इस साधारण कारण से स्वीकार्य नहीं है कि उसने जांच के दौरान यह खंडन किया था कि उसे सह-आरोपी नीरज और अनिल @सोनू @सुनील से सिफारिश करने के लिए Rs.22,000/- (बाईस हजार) की राशि प्राप्त हुई है। इसलिए, प्रथमदृष्टया, यह स्थापित किया जाता है कि उसने अपराध करने में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

(13) आगे यह तर्क कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत में कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, भी खारिज किया जा सकता है क्योंकि जांच के बाद खंड 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की

गई है और पर्याप्त सामग्री एकत्र करने के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वत निचली अदालत द्वारा आरोप भी तैयार किए गए हैं और अब मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए तय किया गया है।

(14) इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने सह-अभियुक्त जगदीश लाल मल्होत्रा, शाखा प्रबंधक के मामले में पारित दिनांक 17.07.2014 (पी-12) के आदेश का लाभ नहीं ले सकता है, क्योंकि उस मामले में भी पूरा दोष वर्तमान याचिकाकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया गया था कि ऋण बैंक के कृषि अधिकारी द्वारा सिफारिशें करने के बाद स्वीकृत किया गया था और यह वर्तमान याचिकाकर्ता था जिसने अपनी संतुष्टि के अनुसार दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया और उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:-

“याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस मामले में आवेदन किए गए कृषि ऋण को याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित अधिकारी यानी बैंक के कृषि अधिकारी की सिफारिशों पर मंजूरी दी गई थी। कृषि ऋण की मंजूरी के मामले में शाखा प्रबंधक की भागीदारी सबसे कम होती है क्योंकि सभी सत्यापन और सिफारिशें कृषि अधिकारी द्वारा की जाती हैं। ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कृषि अधिकारी द्वारा भी की गई थी, जिन्होंने अपनी संतुष्टि के बाद कानूनी राय प्राप्त करने के लिए वकील को भेज दिया था। कानूनी राय के बाद, मामला फिर से रिपोर्ट को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए कृषि अधिकारी के पास आया। कृषि अधिकारी दस्तावेजों को फिर से जांचने और सत्यापित करने के बाद ग्राहक को बैंक में बचत खाता खोलने का निर्देश देता है। इसके बाद उन्होंने गिरवी रखने के लिए संपत्ति का पूर्व-मंजूरी दौरा किया, दस्तावेजों का सत्यापन किया, ग्राहक से जानकारी लेने के बाद फॉर्म भरा। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति की वास्तविकता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद, कृषि अधिकारी द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए सिफारिशें की गईं। उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कृषि ऋण की मंजूरी में शाखा प्रबंधक की सबसे कम भूमिका है।

वर्तमान मामले में, ग्राहक ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाए थे जिन्हें कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था और इस तरह के सत्यापन और कानूनी खोज रिपोर्ट के बाद, उसने सिफारिशें की थीं। पैनल के वकील ने शीर्षक की श्रृंखला को भी सत्यापित किया था जो पूरी हो चुकी थी।”

(15) कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आरोप

तैयार करने के बाद, इस न्यायालय को नियमित तरीके से FIR/प्राथमिकी को रद्द करने के लिए खंड 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल्कि इसका प्रयोग संयम से और उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी केवल उन अपवादात्मक मामलों (मामलों) में जहां आरोप साबित करने की संभावना बहुत कम है और आपराधिक कार्यवाही की विचाराधीनता न्यायाधीशालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या न्यायाधीश का अंत सुनिश्चित करने के लिए है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान मामले में कथित अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया बनाए गए हैं और परिणामी कार्यवाही के साथ FIR/प्राथमिकी को रद्द करना उचित नहीं है।

(16) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक अधिकारी/अधिकारी सार्वजनिक धन के न्यासी होते हैं और उनसे उचित सावधानी बरतते हुए प्रचलित प्रासंगिक निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार ऋण को मंजूरी और वितरण करने की अपेक्षा की जाती है और धोखाधड़ी वाले ऋणकर्ताओं की मिलीभगत से अपनी निजी संपत्तियों के रूप में ऋण को उधारकर्ता के रूप में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

(17) ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है और परिणामस्वरूप, इसे एतद्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(18) ऊपर की गई टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं बनाया जाएगा और निचली अदालत इससे प्रभावित नहीं होगी।

(19) चूंकि मामला छह साल से अधिक समय से लंबित है, इसलिए विद्वत निचली अदालत से मुकदमे में तेजी लाने का अनुरोध किया जाता है।

ऋतंबरा ऋषि

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : गरिमा गिलानी

